अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : संस्था/राजप/सामा./प.26/2024/254 दिनांक : 15/5/24

समस्त संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–राजस्थान

विषयः–स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

संदर्भः–निदेशालय के पत्र क्रमांक 170 दिनांक 09.04.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों की सूचना निदेशालय को प्रेषित की है। उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि 06 माह से कम अनुपस्थित रहे चिकित्सकों के विरूद्ध सीसीए नियम 17 में एवं 06 माह से अधिक के लिए सीसीए नियम 16 में अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव 07 दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

01 वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों एवं पीजी पश्चात अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों को कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा निवास स्थान के पते पर भेजते हुए 02 स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : संस्था/राजप/सामा./प.26/2024/254 दिनांक : 15/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. निजी सहायक निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित एटी/सीबी अनुभाग मख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।